Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-R/A-05/F-259/1591 भोपाल, दिनांक 05 मई, 2022

प्रति,

लीलाशिल्प देवकॉन एलएलपी,
सम्प्रवर्तक,
93, रेलवे कॉलोनी, आनंद नगर,
नियर एसटी प्लस स्कूल,
खण्डवा (म०प्र०)

विषय: परियोजना **केसर प्राईड, खण्डवा** (REF. No. **121919964567**) के संबंध में।

- O -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।
प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि :-

" परियोजना **केसर प्राईड, खण्डवा** का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक **P-KHD-22-3324** आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।***"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

आदेश | प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रोजेक्ट का नाम – केसर प्राइड, खण्डवा।
सम्प्रवर्तक का नाम– लीलाशिप देवकॉन एलएलपी, खण्डवा।

1– प्रस्तुत प्रकरण में आज दिनांक को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री पुलकित मेहता, सी.ए. उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत बैंक अकाउंट फर्म के नाम से प्रस्तुत किया गया था। बाद में रेरा अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार परियोजना का डेडिकेटेड खाता खोला गया है। उक्त के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख बैंक पासबुक अथवा चेक न होकर ऑनलाईन अकाउंट डिटेल की डाउनलोडेड प्रति अपलोड की गई है, जिस पर न तो बैंक का नाम है और न ही शाखा का विवरण है अतः बैंक पासबुक अथवा खाते का धनादेश अपलोड किया जाना चाहिए। उक्त को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण पाये जाने से परियोजना पंजीयन का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

2– प्रकरण में आवेदक– लीलाशिप देवकॉन एलएलपी, खण्डवा हैं, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं के द्वारा परियोजना– केसर प्राइड, खण्डवा, के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना Village- Khandwa Taraf Malipura Teh. & Dist. Khandwa में सम्मिलित खसरों कमांक– 157/2, & 158/2 कुल रकबा– 4.1157 हेक्टेयर पर भूमि स्वामित्व श्री हिरेन कुमार जैन, श्री परमजीत सिंह नारंग, श्री अब्बदुल रजाक चौहान, श्री घनश्याम दास संतवानी, मेसर्स एम.एस ग्रुप तर्फे श्री संजय संतवानी, मेसर्स एम.एल ग्रुप तर्फे श्री मनीष संतवानी का है, आवेदक द्वारा इन भूमि स्वामियों के साथ विकास अनुबंध दिनांक 01.08.2018 तदोपरांत पुनः दिनांक 30.11.2021 को संशोधित विलेख प्रस्तुत किया गया। पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार संशोधित विकास अनुबंध स्वीकार योग्य है।

3– पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार अधिनियम की धारा 2 (यट) के अनुसार भूमि स्वामी को भी संप्रवर्तक के रूप में आवेदन हेतु, भूमि स्वामी के संप्रवर्तक के रूप में आवेदन एवं अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। अतः आवेदक के साथ भूमि स्वामी भी सम्प्रवर्तक होंगे।

4– परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 4.1157 हेक्टेयर में राशि रुपये 345.57 लाख की लागत से विकास कार्य किया जाना है तथा परियोजना में कुल 257 प्लाट विकसित किये जाने हैं। पंजीयन अधिकारी की परीक्षण टीप के पैरा कमांक– 01 में वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 30.06.2024 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्त के अध्यधीन होगा, :–

1. अधिनियम की धारा 2 (यट) के अनुसार परियोजना में निम्नानुसार संप्रवर्तक होंगे :–
   i. लीलाशिप देवकॉन एलएलपी, खण्डवा
   ii. श्री हिरेन कुमार जैन,
   iii. श्री परमजीत सिंह नारंग,
   iv. श्री अब्बदुल रजाक चौहान,
   v. श्री घनश्याम दास संतवानी,
   vi. मेसर्स एम.एस ग्रुप तर्फे श्री संजय संतवानी,
   vii. मेसर्स एम.एल ग्रुप तर्फे श्री मनीष संतवानी

   उपरोक्त समस्त संप्रवर्तक परियोजना एवं आवंटितियों के साथ किये गये अनुबंध के लिए पृथक्तः एवं संयुक्ततः रूप से जवाबदेह होंगे।
2. रेरा अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार परियोजना का डेडिकेटेड खाता के संबंध में बैंक पासबुक अथवा खाते का धनादेश सहित विवरण पोर्टल पर 15 दिवस के अन्दर अपलोड करे।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

CA Pulkit Mehta 2/5/22

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)		(ए.पी. श्रीवास्तव)
सदस्य	अवर सचिव	अध्यक्ष

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)

Real Estate
Regulatroy Authority
Madhya Pradesh

म.प्र. भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : P-KHD-22-3324

परियोजना का नाम : केसर प्राइड-खण्डवा

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती .... पुत्र श्री/श्रीमती ....

.... तहसील .... जिला .... राज्य ....

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : लीला शिल्प देवकॉन, एल.एल.पी.

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान 93 रेल्वे कालोनी आनंद नगर नीयर एस.टी.प्लस स्कूल खण्डवा-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :
   - (i) संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
   - (ii) संप्रवर्तक अधिनियम की धार-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
   - (iii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
   - (iv) पंजीयन दिनांक 02-05-2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 30-06-2024 तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
   - (v) संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
   - (vi) संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्यधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : 02-05-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण